न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
फूलचंद बनाम ओमप्रकाश
GCMS No- 2024/674
प्रकरण संख्या 208 / 2024

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 208 / 2024
जीसीएमएस न0 2024 / 674

1. फुलचंद पिता शंकरलाल जाति धाकड़ निवासी बांगेडा घाट तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता भागीरथ जी जाति धाकड निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा
2. कंवरलाल पिता लख्मीचंद जाति तेली निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा
3. हीरालाल पिता मथुरालालजी जाति तेली निवासी बांगेडा घाटा जोशी तह० निम्बाहेडा
4. रामेश्वरलाल पिता भेरुलालजी जाति धाकड निवासी बांगेडा घाटा तह निम्बाहेडा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री योगेन्द्र सौलंकी – अधिवक्ता विपक्षीगण

:: निर्णय ::

दिनांक 09.12.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा बांगेडा घाटा प०ह० बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 250 के आराजी नं0 421 रकबा 0.4000 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराना आराजी नं0 1068 / 146 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की है।

2. वादग्रस्त आराजीयात नया 421 रकबा 0.4000 हे० उक्त आराजी के पुराने आराजी नं0 146 थे और आराजी नं0 146 के हाल नये आराजी नं0 421, 422, 421 / 2054 बने तथा प्रार्थी की आराजीयात मौके पर आराजी नं0 425 के दक्षिण दिशा से लगी हुई हैं तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात पश्चिम दिशा की आराजी नं0 468, 470 की मेड से लगी हुई है और प्रार्थी सेटलमेन्ट से पूर्व से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं तथा विपक्षीगण की उक्त आराजीयात [illegible] में स्थित है। जबकि राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से प्रार्थी [illegible] जीयात को उत्तरी दिशा मे तथा विपक्षीगण की आराजीयात [illegible] है उक्त गलत तरमीम राजस्व कर्मचारियों की गलती [illegible] मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम नही था और [illegible] नवीन नक्षा ट्रेस में गलत से तरमीम कर दिया है। जहां पर प्रार्थी काबिज है [illegible] पर प्रार्थी का नक्षा ट्रेस अंकन सही रुप से नही किया है। जबकि प्रार्थी का राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार मौके पर शान्तिपुर्ण रुप से कब्जा चला आ रहा तथा उक्त नक्षा ट्रेस में अंकन प्रार्थी के मौके पर कब्जे अनुसार नही किया है। इसलिए उक्त नवीन नक्षा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक़्षा ट्रेस मे उक्त इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी 421 का उक्त नवीन नक़्षा ट्रेस में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर नवीन नक़्षा ट्रेस में तरमीम किये जाने की कृपा करावें। ताईद मे शपथ पत्र पेश है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता योगेन्द्र सोलंकी ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब पेश किया तथा विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अनुशंषा मय जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः–

- प्रार्थीगण के नाम साबिक आराजी नंबर 46 दर्ज था। इसके विभाजन होने से गत भूप्रबंध के नक्शे में तरमीम नहीं होने से नवीन भूप्रबंध के नक्शे में खातेदार श्री फूलचंद पिता शंकरलाल व श्री ओमप्रकाश वगैराह धाकड़ को उत्तर–दक्षिण दिशा में तरमीम कर दिया गया है जबकि दोनों पूर्व–पश्चिम दिशा में काबिज होकर काश्त कर रहे है। मौके पर स्थिति निम्न प्रकार है–

क्र. स.	नम ग्राम	आराजी नंबर	रकबा	नाम खातेदार	मौके पर कब्जे अनुसार स्थिति
1	बांगेड़ाघाटा	421 422	0.20 0.20	श्री फुलचंद पिता शंकरलाल धाकड़ सा.देह	पश्चिम दिशा की ओर कब्जा काश्त
2	बांगेड़ाघाटा	421 422	0.20 0.26	श्री ओमप्रकाश पिता भागीरथ धाकड़ 1/3, लखमा पिता भीमा तेली 1/6, ओमप्रकाश पिता भागीरथ धाकड़ 1/6, हीरालाल पिता मथरालाल धाकड़ 1/6, राधेश्याम पिता भेरूलाल धाकड़ 1/6 खातेदार सा. देह	पूर्व दिशा की ओर कब्जा काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी ... जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:53 IST
Reason: SelfAttested

136. Correction of errors. - The L... Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any R...ter:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

रजिस्टर्ड

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांकः प्र.स.40/2023 अपील/ 2555

दिनांकः 2/8/24

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

विषयः अभिलेख लौटाने के सम्बन्ध में
प्रकरणः **श्री फूलचन्द धाकड़ बनाम श्री ओमप्रकाश व अन्य**
प्रसंगः आपका पत्रांक 17 दिनांक 05.01.2024

महोदय,

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय में दर्ज उक्त प्रकरण संख्या 40/2023 अपील अनवान **श्री फूलचन्द धाकड़ बनाम श्री ओमप्रकाश व अन्य** में प्रासंगिक पत्र से प्राप्त आपके न्यायालय की पत्रावली **प्रकरण संख्या 87/2017,** बउनवानी **श्री फूलचन्द धाकड़ बनाम श्री ओमप्रकाश व अन्य** दिनांक 22.03.2022 मय इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.07.2024 की प्रमाणित प्रति किता 2 सहित संलग्न कर निर्देशानुसार पालनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आज्ञा से

(रीडर)
अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संलग्नः उपरोक्तानुसार

2/9/2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:23:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner